संख्या-14/2017/2170/23-7-17-176(सा0)/06

प्रेषक,

सदाकान्त,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

विषयः- लोक निर्माण विभाग के टेण्डर/कार्यों में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने संबंधी शासनादेश दिनांक 08 जून, 2017 के प्रस्तर-4 के Clearification /स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 836/23-7-17-176(सा0)/06, दिनांक 08 जून, 2017 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन आदि के संबंध में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

" यह देखा गया है कि फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन कराते समय ठेकेदारों द्वारा फर्म/पार्टनरों के नाम से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते है बाद में फर्म से कोई वसूली यदि की जानी हो तो कभी-कभी सम्भव नहीं हो पाती है। अतः फर्म/कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी के नाम की हैसियत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस निर्देश का कठोरता से अनुपालन किया जाय। इस संबंध में महानिरीक्षक, निबन्धक उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- 501/शि0का0लख0/ 2003, दिनांक 27-02-2003 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।"

2- उक्त व्यवस्था में उल्लेखनीय है कि कम्पनी का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम -1956 के अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय से किया जाता है। फर्म का पंजीकरण इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट-1932 के अन्तर्गत फर्म निबन्धक, उ0प्र0 द्वारा किया जाता है। इस प्रकार पंजीकृत कम्पनी व फर्म का पंजीकरण व्यापार कर विभाग द्वारा जी0एस0टिन नम्बर आवंटित करते हुए पंजीकरण किया जाता है। इन पंजीकृत कम्पनी/ फर्म का लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारी कार्य हेतु पंजीकरण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार पंजीकृत कम्पनी/फर्म के अतिरिक्त व्यापार कर विभाग द्वारा एकल स्वामित्व वाली(सोल प्रोपराइटरशिप फर्म) का पंजीकरण किया जाता है। इस पंजीकरण में लीगल नेम के रूप में व्यक्ति विशेष का नाम अंकित किया जाता है तथा ट्रेड नेम के रूप में फर्म का नाम अंकित करते हुए जी0एस0टिन आवंटित किया जाता है। इस प्रकार पंजीकृत की गयी एकल स्वामित्व वाली फर्म का पंजीकरण फर्म निबन्धक, उ0प्र0 द्वारा नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार व्यापार कर विभाग में पंजीकृत प्रोपराइटरशिप फर्म के सोल प्रोपराइटर के व्यक्तिगत नाम से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र को स्वीकार करने अथवा न करने के संबंध में शासनादेश दिनांक 08-06-2017 में कोई उल्लेख नहीं है। इन फर्मो के पंजीकरण के मामलों में प्रोपराइटर के व्यक्तिगत नाम से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्रों को स्वीकार कर पंजीकरण की कार्यवाही उक्त शासनादेश दिनांक 08-06-2017 के जारी होने के पूर्व तक की जाती रही है। परन्तु शासनादेश दिनांक 08-06-2017 निर्गत होने के पश्चात् इन मामलों में हैसियत प्रमाण पत्र इनके सोल प्रोपराइटर के व्यक्तिगत नाम से स्वीकार कर इनके पंजीकरण किये जाने में क्षेत्रीय अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा कठिनाई बतायी गयी है।

3- इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से आख्या प्राप्त की गयी। प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या- 9450 दिनांक 06-12-2017 द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फील्ड में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु शासनादेश दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

08-06-2017 के प्रस्तर-4 में हैसियत प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

(अ) दो या अधिक साझेदारों वाली फर्म /कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी के नाम का हैसियत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस निर्देश का कठोरता से अनुपालन किया जाय। इस संबंध में महानिरीक्षक, निबन्धक उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- 501/शि0का0लख0/2003, दिनांक 27-02-2003 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(ब) एकल स्वामित्व(सोल प्रोपराइटर) फर्म जो व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हो, के मामलों में ट्रेड नेम अथवा लीगल नेम से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र को मान्यता दी जायेगी जिससे जनहित के कार्यो पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

अतः लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के पंजीकरण् के मामलों में आ रही व्यावहारिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-836/23-7-17-176(सा0)/06, दिनांक 08 जून, 2017 को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है। कृपया फील्ड स्तर पर इसकी जानकारी सभी संबंधितों को उपलब्ध करा दी जाय और मेरिट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

भवदीय,

(सदाकान्त)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-14/2017/2170(1)/23-7-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0शासन।
2- प्रमुख सचिव,गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4- प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क एवं परिकल्प/नियोजन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।